न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 21/2015–16
दिनांक 06/12/2022

जोसेफ तिर्की
बनाम
स्नेहलता सोरेंग वगै0

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक जोसेफ तिर्की, पिता–स्व0 सिमोन उराँव, साकिन–पुरनापानी, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर दिनांक 13.07.2015 ई0 को प्रारम्भ की गई। आवेदक जोसेफ तिर्की ने आवेदित किया है कि विपक्षीगण क्रमशः 1. स्नेहलता सोरेंग, पिता–स्व0 मतियस सोरेंग, साकिन–पुरनापानी, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा एवं 2. करमेला सोरेंग (खड़ियाईन) पति–स्व0 मतियस सोरेंग, साकिन–पुरनापानी, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा ने उनके निम्नांकित जमीन को छल–प्रपंच से अवैध–कब्जा कर लिया है जिसे उन्होंने बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के अन्तर्गत वापस दिलाने का अनुरोध किया है।

प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्नवत हैः–

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
खिजरी	105	164	578	0.90 एकड़ में से 0.36 एकड़

आवेदक ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–71A के तहत् जमीन वापस दिलायी जाय। इस बाबत् अभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया एवं कारणपृच्छा की गई। अंचल अधिकारी, सिमडेगा से भी जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। विपक्षीगण अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपना आवश्यक कागजात एवं लिखित जवाब दाखिल किया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। साथ ही अंचल अधिकारी, सिमडेगा के द्वारा जाँच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया है जो अभिलेख में संलग्न है। आवेदक की ओर से कोई लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा अपने पक्ष में कागजात दाखिल किया गया है।

आवेदक ने अपने समर्थन में कहा है कि मुकदमें की जमीन उसे उनके पिता–स्व0 सिमोन उराँव ने 1980ई0 में दान पत्र के द्वारा दिया है। जिसका खाता नं0–164, प्लॉट नं0–578, रकबा–0.90 एकड़ जमीन है। उक्त भू–खण्ड में से 0.36 एकड़ जमीन को विपक्षी के पिता–स्व0 मतियस सोरेंग के द्वारा छल–प्रपंच से रजिस्ट्री करा लिया गया है। अतः आवेदक को उक्त भूमि को वापस दिलाया जाए। आवेदक ने अपने दावे के साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेज दाखिल किया हैः–

1. दान पत्र की छायाप्रति–03 फरद

विपक्षी स्नेहलता सोरेंग की ओर से दिनांक 23.08.2022 को आवेदन दिया गया है कि विपक्षी संख्या–02 करमेला सोरेंग (खड़ियाईन) की मृत्यु दिनांक 25.11.2019 ई0 को हुई है। विपक्षी ने वाद से उनके नाम को हटाने की प्रार्थना की है।

कृ0पृ0उ0

Scanned with OKEN Scanner

मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। विपक्षी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में लिखित जवाब दाखिल किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में कहा कि वाद की जमीन खाता नं0–164, प्लॉट नं0–578, रकबा–0.36 एकड़ जमीन मौजा–खिजरी पुरनापानी, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा में अवस्थित है। आवेदक जोसेफ तिर्की वल्द स्व0 सिमोन तिर्की ने उपर्युक्त वाद की जमीन को विपक्षी के पिता–स्व0 मतियस सोरेंग वल्द स्व0 सामुएल देवा खड़िया, साकिन मौजा–खिजरी पुरनापानी, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा के नाम बिक्री करने हेतु अन्दर दफा 46 सी0एन0टी0 एक्ट के तहत् आवेदन श्रीमान अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के अदालत में दिया था। जिसका रेवन्यु मुकदमा संख्या–214/1980–81, 150/1981–82 है। उक्त रेवन्यु मुकदमा संख्या–214/1980–81, 150/1981–82 में पूर्ण जाँच पड़ताल के पश्चात् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा दिनांक 24.06.1981 ई0 को परमीशन आदेश पारित किया। उन्होंने अपने बहस में कहा है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा धारा–46 सी0एन0टी0 एक्ट में अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् विपक्षी के पिता–स्व0 मतियस सोरेंग द्वारा आवेदक को 6762/–(छः हजार सात सौ बासठ रूपये) भुगतान कर दिनांक 01.08.1981 ई0 को बजरिए रजिस्ट्री दस्तावेज संख्या–711/1981 के द्वारा मुकदमें की जमीन को खरीदा गया है, मुकदमें की जमीन पर विपक्षी के पिता–स्व0 मतियस सोरेंग एवं माता–स्व0 करमेला सोरेंग का जीवित रहते तक शान्तिपूर्वक दखलकार रहे हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात् विपक्षी मुकदमें की जमीन पर शान्तिपूर्वक दखलकार है।

विपक्षी के अधिवक्ता ने अपने बहस में कहा है कि मुदकमें की जमीन का दाखिल–खारिज भी विपक्षी की माँ करमेला सोरेंग के नाम पर अंचल अधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय द्वारा हुआ है। अंचल अधिकारी, सिमडेगा ने पूर्ण जाँच पड़ताल करने के पश्चात् विपक्षी की माँ करमेला सोरेंग के नाम शुद्धिपत्र भी निर्गत किया। दाखिल–खारिज वाद संख्या–162R27/2002-03 के द्वारा दाखिल–खारिज होकर जमाबंदी कायम हुआ एवं जमीन की मालगुजारी भी विपक्षी के द्वारा झारखण्ड सरकार को दिया जाता रहा है।

विपक्षी के द्वारा अपने साक्ष्य में निम्नांकित कागजात दाखिल किया गया है:–

1. परमीशन वाद सं0–214/1980–81, 150/1981–82 में दिनांक 24.06.1981 में दी गई आदेश का शिड्यूल पत्रांक–706(ii), दिनांक 24.06.1981 की छायाप्रति–1 फरद।
2. रजिस्ट्री पट्टा संख्या–711/1981, दिनांक 01.08.1981 की सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति–03 फरद।
3. शुद्धि पत्र की छायाप्रति–01 फरद।
4. मालगुजारी रसीद की छायाप्रति–04 फरद।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा ने मुकदमें की जमीन के बावत् अपने पत्रांक संख्या–676(ii) के माध्यम से दिनांक 29.09.2015 को एक विस्तृत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है। जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया है कि मुदकमें की जमीन विगत्–रिविजनल सर्वे में सिमोन उरांव वल्द लच्छु उरांव के नाम से कायमी रैयती दर्ज है तथा मुदकमें की जमीन का वर्त्तमान जमाबंदी करमेला सोरेंग के नाम से दर्ज है। करमेला सोरेंग विपक्षी स्नेहलता की माँ है।

Scanned with OKEN Scanner

विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि आवेदक का आवेदन अन्दर धारा–71A छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत् उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विचारणीय नहीं है। क्योंकि मुकदमें की जमीन की खरीद बिक्री में धारा–46 सी0एन0टी0एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है। स्वंय आवेदक सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेने के पश्चात् ही दफा 46 सी0ए0टी0एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप विपक्षी के पिता–स्व0 मतियस सोरेंग के पक्ष में आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व सन् 1981 ई0 में निबंधित बिक्रय दस्तावेज के द्वारा बिक्रय किया है। इस प्रकार से आवेदक का मुकदमा अवधि विधि–विधान से भी बाधित है। आवेदक का यह कहना है कि विपक्षी ने छल–प्रपंच से जमीन पर अवैध कब्जा किया है, पूर्णतः झूठा एवं मनगढ़न्त है। आवेदक विपक्षी को तंग एवं परेशान करने एवं सरकारी लाभ लेने की नियत से जमीन वापसी का झूठा मुकदमा विपक्षी के खिलाफ किया है। अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाए।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–676(ii), दिनांक 26.09.2015 द्वारा सूचित किया है कि विपक्षी की माँ करमेला सोरेंग के नाम से जमाबन्दी कायम है और उनके द्वारा झारखण्ड सरकार को मालगुजारी का भी भुगतान किया जा रहा है। विपक्षी की माँ करमेला सोरेंग का विवादित भूमि पर दखल–कब्जा है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस एवं तर्क को सुनने एवं अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन अवलोकन करने तथा अभिलेख में संलग्न आवश्यक कागजातों को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने मुकदमें की जमीन को स्वंय विपक्षी के पिता–स्व0 मतियस सोरेंग को 40 साल पूर्व सन् 1981 में पंजीकृत दस्तावेज संख्या–711/1981 के द्वारा बिक्रय किया है। आवेदक ने विपक्षी को तंग एवं परेशान करने की नीयत से जमीन वापसी का मुकदमा किया है। यह वाद सिड्यूल एरिया रेग्यूलेशन एक्ट 71A लागू नहीं होता है।

अतः आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

Digitally signed by Aruna Kumari
Date: 2025.08.20 16:10:33 +05:30
Location: 10.145.93.80

Scanned with OKEN Scanner